अभय कुमार सिंह भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा दिनांक–10.09.2014 को संग्रामपुर प्रखंड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालय का किए गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक–10.09.2014 को संग्रामपुर प्रखंड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्न प्रकार है :–

(A) **प्रखंड कार्यालय, संग्रामपुर**

(1) **रोकड़ बही** :– सर्वप्रथम रोकड़ बही का अवलोकन किया गया। रोकड़ बही दिनांक–31.7.2014 तक लिखा गया है। इस प्रकार विगत चालीस दिनों से रोकड़ बही नहीं लिखा जाना अस्थाई गबन का मामला है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं श्री परशुराम प्रसाद, प्रखंड नाजिर को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर इस आशय का स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें कि किस परिस्थिति में विगत चालीस दिनों से रोकड़ बही नहीं लिखा गया, क्यों नहीं इसे अस्थाई गबन का मामला मानते हुए आपलोगों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाय?

(2) **जन शिकायत पंजी** :– निरीक्षण के दौरान जन शिकायत पंजी की मॉग की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि यह पंजी प्रधान सहायक के पास है और वे आवश्यक कार्य से जिला पंचायत राज कार्यालय में गये है। अतः उन्हें पंजी शाम में जिला गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। शाम में प्रधान सहायक के द्वारा पंजी उपलब्ध कराया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड में मुख्यमंत्री जनता दरबार से कुल--05 परिवाद–पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसे निष्पादित किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी के जनता दरबार से कुल–03 आवेदन–पत्र प्राप्त दिखाया गया है, जिसमें से एक आवेदन–पत्र को जॉच के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी को भेजा गया है। शेष दो आवेदन–पत्रों को कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रखंड स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त परिवाद–पत्रों की संख्या शून्य दिखाया गया है जो अविश्वसनीय प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि प्रखंड स्तर पर जनता दरबार का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अतः प्रखंड स्तर पर जनता दरबार का आयोजन नहीं करने के संबंध में प्रखड विकास पदाधिकारी अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि तीन दिनों के भीतर प्रतिवेदित करें कि वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में अधोहस्ताक्षरी के जनता दरबार से कितने परिवाद–पत्र प्रखंड कार्यालय, संग्रामपुर को भेजे गये हैं?

(3) **माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी** :– माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी का अवलोकन किया गया। इस प्रखंड में वर्ष 2007 से 2014 तक कुल–13 वाद प्राप्त दिखाये गये हैं, जिसमें 10 मामलों को निष्पादित किया जा चुका है। शेष 03 वादों में तथ्य विवरणी तैयार कर जिला कार्यालय को भेजे जाने का विवरण अंकित है।

(4) **लोक सूचना का अधिकार अधिनियम** :– इस कार्यालय में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के बाहर लम्बित पत्रों की संख्या शून्य है।

(5) **डीजल अनुदान** :– डीजल अनुदान के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उपस्थापित नहीं किया जा सका। उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम लॉट में प्राप्त आवेदन–पत्रों की जॉच प्रतिवेदन आज ही प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में उन्हें निदेश दिया गया कि अगले एक सप्ताह में इन आवेदन–पत्रों में सन्निहित राशि का पंचायतवार कैम्प लगाकर वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

(6) **इन्दिरा आवास योजना** :– रोकड़ बही का अवलोकन किया गया। इस प्रखंड में इन्दिरा आवास योजना मद में 1,62,05,715 (एक करोड़ बासठ लाख पॉच हजार सात सौ पन्द्रह) रूपये अवशेष दर्शाया जा रहा है। इस राशि को द्वितीय किस्त एवं शेष बचे हुए लाभार्थियों का चयन कर प्रथम किस्त के रूप में बॉटा जाना था परन्तु अभीतक इसका वितरण नहीं किया जा सका है। यह प्रखंड विकास पदाधिकारी का सरकारी कार्यों में लापरवाही का द्योतक है। प्रखंड विकास पदाधिकारी तीन दिनों के भीतर इस आशय का स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करेंगे कि किस परिस्थिति में इतनी बड़ी राशि प्रखंड में अवशेष है?

(B) **अंचल कार्यालय, संग्रामपुर**

(1) **रोकड़ पंजी** :– अंचल कार्यालय का रोकड़ बही दिनांक–5.9.2014 तक लिखा गया है। रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अग्रिम मद में 5,51,800 रूपये एवं अभिश्रव में 7,55,155 रूपये दिखाया जा रहा है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी को अबिलम्व प्राप्त आवंटन से अभिश्रव एवं अग्रिम का नियमानुसार समायोजन करने हेतु निदेशित किया गया।

(2) **माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी** :– अंचल कार्यालय के माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वादों की समीक्षा की गई। इन वादों की स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। तीन वादों में से केवल एक वाद सुरेश राम बनाम राज्य सरकार में तथ्य विवरणी तैयार कर जिला को उपलब्ध कराई गई है। शेष दो वादों यथा–अशोक कुमार पाण्डेय बनाम राज्य सरकार जो वर्ष 2012 का मामला है एवं विजय मिश्र बनाम राज्य सरकार में अभीतक तथ्य विवरणी तैयार नहीं किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिला स्तर पर सघन रूप से समीक्षा कर माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित वादों में गति प्रदान करने की कोशिश की जा रही है परन्तु अंचल कार्यालय के द्वारा इसमें अपेक्षित अभिरूचि नहीं लिया जाना अत्यन्त ही खेदजनक है।

उपरोक्त के आलोक में "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर अंचलाधिकारी का एक दिन का वेतन कटौती किया जाता है एवं उन्हें निदेशित किया जाता है कि दिनांक–20.9.2014 तक दोनों मामलों में तथ्य विवरणी तैयार कर जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

(3) **अतिक्रमण से संबंधित पंजी** :– अतिक्रमण से संबंधित वादों की पंजी की समीक्षा की गई। अधोहस्ताक्षरी के बार–बार निदेश के बावजूद अंचलाधिकारी के द्वारा यह पंजी संधारित नहीं किया गया है। एक अधूरी पंजी अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया, जिसे फरवरी 2014 के बाद अद्यतन नही किया गया है। यह अंचलाधिकारी का कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है। उनके द्वारा वरीय पदाधिकारी के बार–बार दिए गये निर्देशों के बावजूद अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

(4) **बेदखली से संबंधित पंजी** :– बेदखली से संबंधित पंजी का अवलोकन किया, जिसमें मात्र एक वाद अंकित किया गया है जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक सप्ताह जिला जन शिकायत कोषांग में बेदखली से संबंधित मामले आते हैं, जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रखंड में भेजा जाता है परन्तु इस प्रखंड में बेदखली से संबंधित एक मामले का होना स्पष्टतः अविश्वसनीय है। अंचलाधिकारी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(5) **पर्चा वितरण से संबंधित पंजी** :– सुयोग्य श्रेणी के लाभार्थियों के बीच पर्चा वितरण हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से दिए गये स्पष्ट दिशा–निर्देश के बावजूद अंचलाधिकारी के द्वारा पर्चा वितरण से संबंधित पंजी अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित नहीं किया गया।

(6) **निष्कर्ष** :–उपरोक्त से स्पष्ट है कि अंचल कार्यालय, संग्रामपुर का कार्य अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है। अंचलाधिकारी के द्वारा समय पर जिला स्तर से निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त के आलोक में जिला राजस्व शाखा अंचलाधिकारी, संग्रामपुर के विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, अंचल कार्यालय में यह स्थिति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरेराज के सतत् भ्रमण एवं अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। अतः उन्हें अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से अंतिम रूप से चेतावनी संसूचित करने का निदेश दिया गया। इसके बावजूद सुधार नहीं होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(C) **बाल विकास परियोजना कार्यालय, संग्रामपुर**

(1) **उपस्थिति पंजी** :– उपस्थिति पंजी के अवलोकन के क्रम में श्रीमती प्रियंका कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका अनुपस्थित पाई गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वे बीमार होने के कारण अनपस्थित हैं।

(2) **रोकड़ बही** :– बाल विकास परियोजना कार्यालय का रोकड़ बही दिनांक–9.9.14 तक लिखा हुआ पाया गया।

(3) **जन शिकायत पंजी एवं माननीय उच्च न्यालय से संबंधित पंजी** :– इस कार्यालय में जन शिकायत एवं माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी संघारित नहीं किया गया है। अतः इसे एक सप्ताह के भीतर संघारित करने का निदेश प्रधान सहायक को दिया गया।

(4) **ऑगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण** :– बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा ऑगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। इसमें महिला पर्यवेक्षिकाओं के द्वारा बहुत ही कम संख्या में पदच्यूति एवं वसूली से संबंधित प्रस्ताव दिए गये हैं जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नियमानुसार महिला पर्यवेक्षिकाओं के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(D) मनरेगा कार्यालय, संग्रामपुर

(1) साप्ताहिक बैठक पंजी का अवलोकन किया गया। दिनांक–22.8.14 की बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा की गई एवं क्या दिशा–निर्देश दिए गये, वह पंजी में अंकित नहीं है।

कार्यक्रम पदाधिकारी को उपरोक्त त्रुटि निराकरण करने का निदेश दिया गया।

(2) लंबित योजनाओं की सूची का अनुश्रवण प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में करने का निदेश कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या–1737/गो0 मोतिहारी, दिनांक– 13 वीं सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर/अंचलाधिकारी, संग्रामपुर/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, संग्रामपुर/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरेराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी, 13/9
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।